eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका : उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

सुमित कुमार[1] एवं प्रो० प्रीति पाठक[2]
[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, साहू रामस्वरुप महिला महाविद्यालय, बरेली,
[2]शोध निर्देशक, राजनीति विज्ञान, साहू रामस्वरुप महिला महाविद्यालय, बरेली

Received: 20 July 2025 Accepted & Reviewed: 25 July 2025, Published: 31 July 2025

Abstract

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास का प्रमुख साधन माना गया है। केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और समितियों ने भी इन संस्थाओं के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया है। पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का सतत और समावेशी विकास करना है। इसके माध्यम से ग्रामीण जनता को विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी का अवसर दिया जाता है, ताकि उनकी जीवनशैली में सुधार हो सके। ग्राम पंचायतें ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण, गरीबों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और सामाजिक–आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन संस्थाओं के उत्तरदायी और प्रभावी संचालन से कृषि उत्पादन, आर्थिक गतिविधियों, संसाधनों की उपलब्धता और सेवा प्रदायगी में सुधार होता है, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में व्यापक वृद्धि होती है। विभाग निरंतर प्रयासरत है कि विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण जनजीवन में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता लाई जा सकती है।

मूल शब्दः ग्राम पंचायत, ग्रामीण विकास, ब्लॉक, बांदा, गांव, जनसंख्या

Introduction

भारत में पंचायतों को विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद थी। सरकार के योजना दस्तावेजों और समितियों ने पंचायतों के महत्व पर जोर दिया है। पंचवर्षीय योजनाओं में, खासकर दूसरी पंचवर्षीय योजना ने पंचायतों की भूमिका को प्रमुखता दी है। भारत एक कृषि–प्रधान देश है, और कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 826 विकास खंड, 107746 गांव, 57695 ग्राम पंचायतें और 8594 न्याय पंचायतें हैं। भारत की कुल जनसंख्या 1.46 अरब है, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 199581477 करोड़ है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इस अध्ययन में बांदा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की भूमिका का अध्ययन किया गया है। पंचायत राज एक तीन–स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत (गांव स्तर), जनपद पंचायत (ब्लॉक स्तर) और जिला परिषद (जिला स्तर) शामिल हैं। इसका उद्देश्य गांवों के विकास के लिए स्थानीय लोगों को नेतृत्व प्रदान करना है। चूंकि गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम पंचायत के अलावा कोई और संस्था नहीं कर सकती, इसलिए पंचायतों की भूमिका ग्रामीण भारत के विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। बांदा उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक और कृषि प्रधान जिला है,जो बुंदेलखंड क्षेत्र के पूर्वी सीमांत में स्थित है। यह क्षेत्र अपनी भौगोलिक और सामाजिक, आर्थिक चुनौतियां जैसे सूखा,गरीबी और सीमित संसाधनों के लिए जाना जाता है। बांदा जिले में ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

समुदायों को सशक्त बनाने और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाये तो कर्नाटक में मंडल पंचायत प्रणाली के तहत ग्राम सभा की बैठके पहले कुछ वर्ष में कुछ समय तक नियमित थी, किन्तु समय के साथ उनकी आवृत्ति और भागीदारी में कमी दिखाई दिया। इस प्रकार बांदा जिले में भी ग्राम सभाओं का आयोजन पंचायती राज प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी प्रशासनिक बाधाएं और सामाजिक असमानताओं के कारण ग्राम पंचायत की प्रक्रिया में कमी दिखाई देती है। इसके समाधान के लिए मोबाइल एप और ग्राम सभा में नियमित आयोजन से स्थानीय समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी होगा,जिससे ग्रामीण विकास की गति में विस्तार होगा।

बांदा जिले में सामुदायिक विकास और नेतृत्वः एक अध्ययन में देखा गया है कि इटावा जिले के गांव में नये युवा नेता सामने आए हैं,जो गांव में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से बांदा जिले में ऐसी जरूरत है कि युवा आगे आकर पंचायतो में भाग ले और विकास करें। कुछ रूप में देखो तो मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) और अन्य विकास योजनाओं में स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहित किया। बांदा में पंचायती राज के तहत महिलाओं के आरक्षित सीटों ने ग्रामीण नेतृत्व में उनकी भागीदारी बढ़ाई है। लेकिन अभी भी सामाजिक बाधाएं, पुरुष प्रभुत्व और प्रशिक्षण की कमी अभी भी चुनौतियां बनी हुई है। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के बाद से बांदा जिले में पंचायते ग्रामीण विकास का आधार स्तंभ रही हैं। ये निकाय स्थानीय स्तर पर सड़क,पानी, स्वच्छता और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू किया है। बांदा में पंचायते न केवल प्रशासनिक कार्य करती हैं,बल्कि सामाजिक और धार्मिक मामलों जैसे जाति आधारित विवादों का निपटारा करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। राय कमीशन में बताया गया है कि एक विशिष्ट भारतीय गांव में केंद्रीय आवासीय क्षेत्र,तालाब और पशुओं के लिए खुला स्थान होना चाहिए। ऐसा ही बांदा जिले के गांवों में भी ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है, जहां लोगों की जिंदगी प्रकृति और खेती पर निर्भर है। यहां के गांव में कृषि और पशुपालन मुख्य अजीविका के स्रोत हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक विकास और गरीबी का उन्मूलन के बीच जटिल संबंध है। कुछ समय तक यह माना जाता था कि आर्थिक विकास स्वतंत्र गरीबों तक पहुंच जाएगा (टिकल–डाउन सिद्धांत), किंतु बांदा जैसे क्षेत्र में यह धारणा कलर साबित हुई है। उच्च आर्थिक विकास के बावजूद बांदा में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है,विशेष रूप से दलित और पिछले समुदायों में। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में यह देखा गया कि रोजगार योजनाएं अगर पंचायतो और गांव की समितियां से कराई जाए तो गांव को सीधा फायदा मिलेगा है । इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी अपनाया जाए जिससे मजदूरों को रोजगार मिले और ग्रामीणों में अच्छे कार्य किया जा सके।

स्थानीय स्तर की योजनाएं और ग्रामीण विकास के अध्ययन में यह बताया गया कि जिस प्रकार से गांव के लिए योजनाएं बनाई जाती है उन्हें सही ढंग से चलने के लिए ब्लॉक स्तर पर अच्छी योजनाएं बनाना महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव के लोग खुद आगे बढ़कर दिलचस्पी लें। इस प्रकार से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और वह पूरी तरह से शामिल होंगे तभी गांव का सही मायने में विकास हो सकता है। इस प्रकार से ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था ने स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां जैसे गरीबी, सुखा और भागीदारी न करना अभी भी बाधाएं बनी हुई है। ग्राम सभाओं को मजबूती रूप देना,युवा और महिलाओं

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

के नेतृत्व को प्रोत्साहन देना और रोजगार योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बांदा के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास की कुंजी है।

अनुसंधान विधि: इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश की बांदा जिले की ग्राम पंचायत द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण नीतियों और योजनाओं से जुड़ी जानकारी एकत्रित की गई है। इसके लिए सर्वेक्षण, पुस्तके,शोध पत्र,और इंटरनेट के माध्यम से महत्वपूर्ण आंकड़े और जानकारी एकत्रित की गई है। बांदा जिले में 8 विकासखंड, 469 ग्राम पंचायत और 2011 की जनगणना के अनुसार 17,99 ,410 जनसंख्या हैं जिसे तालिका में **इस प्रकार दर्शाया गया हैं:**

Figure 1: Map of particular area of villages in Banda district

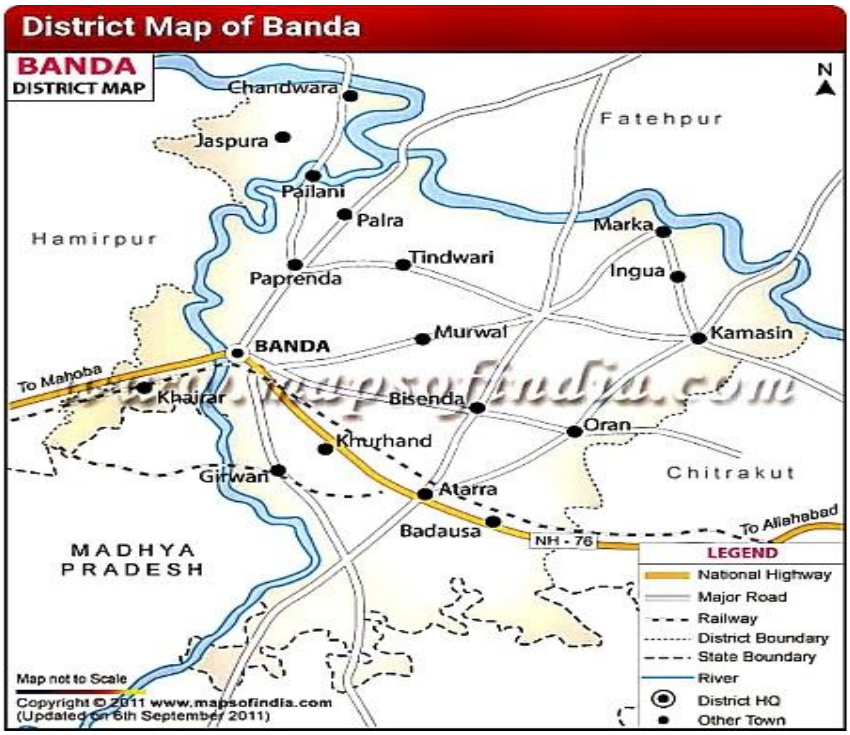

तालिका–1: उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में ग्राम पंचायतो की संख्या और कुल जनसंख्या

प्रारूप–2

पंचायतों के सामान्य निर्वाचन–2026 के उपयोगार्थ मूलभूत आंकडे

जनपद– बाँदा

क्र0 स0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पचायतो की सख्या	वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर				
			कुल जनसख्या	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछडा वर्ग	सामान्य जनसख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बडोखरखुर्द	58	193617	15	44744	100992	47866
2	बिसण्डा	49	184494	1	49869	96391	38233
3	बबेरू	61	200028	0	41819	114920	43289
4	कमासिन	55	172913	0	38300	95703	38910
5	नरैनी	83	258112	16	55709	143041	59346
6	तिन्दवारी	56	176164	4	35405	87830	52925
7	महुआ	75	209096	0	59402	101673	48021
8	जसपुरा	32	105180	2	13535	61413	30230
	योग	469	1499604	38	338783	801963	358820

प्रमाणित किया जाता है कि पोर्टल पर फीड किये गये आंकडे एवं उक्त प्रारूप में अंकित सूचना समान है, दोनो मे कोई विचलन नही है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

क्रम संख्या	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायतो की संख्या
1	बड़ोखर खुर्द	58
2	जसपुरा	32
3	तिंदवारी	56
4	नरैनी	83
5	महुआ	75
6	बबेरु	61
7	बिसंडा	49
8	कमासिन	55
	कुल	**469**

ग्रामीण विकासः ग्रामीण विकास विभाग गांव के विकास के लिए बहुत से योजनाएं चल रही है, इन योजनाओं या कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से है–ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की गरीबी को कम करना। गरीब परिवारों के लोगों की की संपत्ति में वृद्धि करना और उनके अजीबिका के नए साधन खोलना। अनैच्छिक बेरोजगारी और कम रोजगार मिलने की समस्या को दूर करना। गरीब परिवारों को सामाजिक सेवाओं तक पहुंच को बेहतर करना। ग्रामीण इलाकों में सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं को बढ़ावा देना। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य निम्न प्रकार से है–

ग्रामीण इलाकों में गरीबों को घटना। लोगों को गांव में रहकर रोजगार देना। गांव की अधिसंरचना का विकास करना। जो इलाके पिछड़े हुए हैं उन्हें आगे लाना। गांव में गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था करना। समुदायो की भागीदारी सुनिश्चित करना।

प्रशासनिक विभाजनः उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के भीतर 75 जिला पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायत, और 57,695 ग्राम पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 8 ब्लॉक, 469, ग्राम पंचायते और 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 17,99,410 है। पंचायती राज संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रशासनिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है । इसके लिए सरकार ने महत्वपूर्ण अधिसूचनाए जारी किया है। जो इस प्रकार अब गांव के विकास के फैसले गांव की पंचायत खुद ले सकती हैं और अपने ग्राम को बेहतर बना सकते हैं– गांव की सभी योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वयन करना। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े मामले को देखना। नई नीतियां बनाना। विभाग की सभी गतिविधियों की निगरानी करना। इसके अलावा पंचायती राज सचिव एक अहम भूमिका निभाते हैं, वे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 और उससे जुड़ी सभी प्रमुख मामलों को देखते हैं। अपर मुख्य सचिव की पूरे विभाग की योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की मुख्य जिम्मेदारी होती है।

सचिव के द्वारा पंचायती राज कानून और उससे जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी होती है, इस प्रकार से इन दोनों अधिकारियों की देखरेख में पंचायती राज और ग्रामीण विकास से जुड़ी नीतियां और योजनाएं बनाई और चलाई जाती हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

नाबार्ड(NABARD):नाबार्ड यानि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास के सबसे चुनौती पूर्ण और तेजी से बदलते हुए दौर में काम कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती है कृषि को लाभकारी बनाना हैं। इस दिशा में खेती में पूंजी निवेश बहुत महत्वपूर्ण है , ताकि कृषि की बढ़त और टिकाऊ हो सके। इस प्रकार से नाबार्ड ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को अपनी प्रमुख प्राथमिकता बनाया है। वर्तमान में 2024–25 में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जिनमें ग्रामीण विकास, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता प्रदान करना आदि शामिल है। 31 दिसंबर 2024 तक राज्य सरकारों को 5,59,074 करोड रुपए की ऋण सहायता सहित कुल 7,84,605 परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। इसके अलावा ग्रामीण सड़कों के लिए 18,500 करोड रुपए स्वीकृत और वितरित किया।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY): इस योजना को 1999 शुरू किया गया था। यह योजना समेतित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और उन योजनाओं को मिलाकर बनाई गई। यह ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए चलाई गई महत्वपूर्ण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों के खुद का रोजगार (स्वरोजगार) शुरू करने में मदद मदद करना है, ताकि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। इसलिए बैंक के द्वारा कर्ज और सरकार से सब्सिडी (अनुदान) दिया जाता है। इस योजना को केंद्र और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में चलाई जाती है। दिसंबर 2007 तक 27.37 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए और 93.21 लाख लोगों को स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिला। इस पर कुल 19,340,32 करोड रुपए खर्च हुए। अतः इस प्रकार से इस योजना ने लाखों गरीब ग्रामीण परिवारों को अपना रोजगार शुरू करने का मौका दिया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA): मनरेगा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण लोगों को काम देने के लिए शुरू किया गया था। जिससे उन्हें साल में काम और पैसा मिल सके। इसकी शुरुआत 25 अगस्त 2005 को कानून बनाकर की गई। शुरू में इसका नाम NREGA(नरेगा) था। फिर बाद में 2 अक्टूबर 2009 को किसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया। इस योजना से हर गांव के परिवार को हर साल 100 दिन का मजदूरी वाला काम देने की गारंटी की गई। यह काम अनपढ़ और बिना कौशल वाले लोगों को दिया जाता है। मजदूरी के रूप में जनता को सरकारी न्यूनतम वेतन दिया जाता है। अगर सरकार काम नहीं दे पाती तो मजदूरी घर बैठे देनी पड़ती है। यह योजना महिलाओं के लिए भी संवेदनशील है कम से कम 33% काम महिलाओं को भी दिया जाता है। दोनों को एक जैसा वेतन दिया जाता है। काम के जगह पर बच्चों के पालन घर की व्यवस्था होती है।

इसका मुख्य उद्देश्यः गांव के गरीब लोगों और बेरोजगार लोगों को काम देना। गांव में सड़क, तालाब, कुएं गली आदि जैसे काम करना करवाना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। वित्तीय वर्ष 2025–26 में मनरेगा के लिए कुल बजट आवंटन 86,000 करोड रुपए, सरकार की नई व्यवस्था के आधार पर पहली छमाही 51,600 करोड़ खर्च करना होगा। अतः मनरेगा एक ऐसी योजना है जो गांव के लोगों के पास काम देती है जिससे वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके,जिससे गांव का विकास भी हो सके।

प्रधानमंत्री सड़क योजना (PMSGY): य योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना हैं इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसम में उपयोग की जाने वाली सड़कों इसमें महत्वपूर्ण पुलिया और जलने का आदेश रखना है शामिल है। इसके माध्यम से कनेक्ट

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

कनेक्टिविटी प्रदान करना है ताकि ग्रामीण आबादी को आर्थिक और सामाजिक विकास के अवसर प्राप्त हो सके यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है **इसके निम्न चरण हैं–**

PMGSY –1: इसके अंतर्गत उन ग्रामीण आबादी को जोड़ा जाना है जिनकी जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक है। पर्वतीय राज्यों जैसे (पूर्वोत्तर राज्य सिक्कम,हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, रेगिस्तानी क्षेत्र जैसे कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में चिन्हित किया यानी क्षेत्र में 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों को जोड़ा गया हैं।

PMGSY–2: मौजूद ग्रामीण सड़कों का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण ।

PMGSY –3: इसको 2019 में शुरू किया गया । इसका लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में प्रमुख सड़क नेटवर्क को समेकित करना और 250–499 आबादी वाले गांव को जोड़ना हैं। इस योजना के द्वारा 2025 तक लाखों किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण और उन्नयन की प्रगति पर है । इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बेहतर बनाना जिससे सामाजिक आर्थिक विकास की गति मिल सके सके।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अधिनियम (B.B.B.A): यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के संरक्षण, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह अभियान 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। इसी दिन कानपुर के कुछ बच्चियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए 100 मीटर लंबा पत्र लिखा, इस पत्र के माध्यम से उन्होंने बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। यह पत्र भाजपा के वरिष्ठ नेता और कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी के द्वारा इसे प्रधानमंत्री तक भेजा गया। युग दधीचि बेटी बचाओ अभियान के संयोजक मनोज सागर ने बताया कि इस पत्र में बालिकाओं ने अपनी सुरक्षा और शिक्षा के प्रति अपने विचार व्यक्त किया।

इस योजना योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना बेटियों को उनका हक दिलाना और यह सुनिश्चित करना कि हर बेटी पढ़े,बड़े और सुरक्षित रहे।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है, जिसका उद्देश्य देश को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त (Open defecation free-ODF) बनाना हैं। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जयंती पर किया क्योंकि गांधी जी ने स्वच्छता को महत्व दिया था। इसको दो भागों में विभाजित किया गया स्वच्छ 1.भारत मिशन (ग्रामीण)–SBM-G) 2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–SBM-U

इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शौचायलयों की पहुंच को आसान बनाना और जागरूकता को बढ़ावा देना है ताकि जनता सतत रूप से स्वच्छता को व्यवहार में अपना ले और स्वच्छता के लिए प्रयुक्त तकनीक को बढ़ावा दिया जाए जिससे सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलें जिससे लोग सतत रूप से स्वच्छता को व्यवहार में पाना ले । इसके दो चरण हैं –पहले चरण (2014–2019): इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शौचालय निर्माण पर जोर देना। खासकर ग्रामीण भारत को ODF बनाया जाए।

दूसरा चरण (2019–2024): ODF की स्थिति को बनाए रखना ठोस और तरल कचरा प्रबंधन और स्वच्छता को स्थाई बनाना महत्वपूर्ण हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

इस योजना का मकसद केवल शौचालय बनवाना नहीं है, बल्कि लोगों की सोच में बदलाव लाना है ताकि लोग साफ सफाई को अपना एक महत्वपूर्ण कार्य समझे।

उत्तर प्रदेश लोहिया ग्रामीण आवास योजना (2015): यह आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली राज्य प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना खासकर उन ग्रामीण परिवारों के लिए है जो बहुत करीब है और उनका बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची में नहीं है। मुख्य बिंदु लाभार्थियों का चयन– इस योजना में हर वर्ष एक निश्चित संख्या में लाभार्थियों का चयन किया जाता है चयन सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और शासकीय आदेशों के अनुसार किया जाता है। लाभार्थी वर्ग अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति(ST),अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC) और सामान्य वर्ग के सभी गरीब जनता जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

लोहिया आवास योजना बनाम इंदिरा आवास योजना: इंदिरा आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और इसमें केवल 2002 की बीपीएल सूची में शामिल लोगों को आवास दिया जाता था। लेकिन लोहिया आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित है, इसमें ऐसे गरीब लोगों को आवास दिया जाता है जो बीपीएल लिस्ट में नही हैं, और वह बहुत गरीब है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को रहने के लिए अच्छा मजबूत और सुरक्षित घर देना,जिससे वे भी इज्जत से और अच्छे माहौल में रह सके। इस योजना का पूरा खर्च राज सरकार उठती हैं । यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो, अनुसूचित जाति,जनजाति , और अन्य पिछड़ा समुदायों को लक्षित करती हैं। इससे सामाजिक असमानता कम करने में मदद मिलती है और समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुख्य धारा में लाने में योगदान मिलता है।

उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना (2017): इसकी शुरुआत 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया इसका मुख्य उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना(2018): इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देना हैं। इस योजना के आधार पर चयनित राजस्व गांव में बुनियादी ढांचे शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों पर विचार किया जाना हैं। इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और जीवन स्तर में सुधार लाना है।

हर घर जल योजना (2019): इसे जल जीवन मिशन के तहत लाया गया हैं। इसका उद्देश्य जल ग्रामीण लोगों को नल से जल उपलब्ध कराना हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में पानी की टंकियां और पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित किया जाए। इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में पेय की पहुंच बढ़ाना विशेष रूप से जिसी महिलाओं का समय और श्रम की बचत हो।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (2019): इसका उद्देश्य बालिकाओं के सामाजिक को शैक्षिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

पंचगव्य आधारित नवाचार योजना (2025): इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और जैविक खेती को बढ़ावा देना है। इसे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में शुरू किया गया है। इसके आधार पर पंचगव्य आधारित ग्रोथ प्रमोटर और जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाना है । फसल उत्पादन में

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

20% वृद्धि का लक्ष्य है ,इसका प्रभाव ग्रामीण किसानों की आय में वृद्धि और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष:

इस अध्ययन उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में ग्राम पंचायतो द्वारा संचालित नीतियों की जानकारी का विश्लेषण किया गया हैं । इन योजनाएं को राज सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज के माध्यम से लागू की जाती हैं। इनका उद्देश्य गरीबों का मदद करना उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, उनकी आय और जीवन स्तर पर सुधार लाना है, साथ ही ग्रामीणों में सड़के, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधा भी बेहतर बनाएं जाए। कुल मिलाकर ये योजनाऐं ग्रामीण ग्रामीणों के विकास के लिए चलाई जा रही है, लेकिन अभी भी इन योजनाओं को सरकार के द्वारा ठीक प्रकार से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। इसलिए गावो को आत्मकथा बनाने के लिए इन योजनाओं को गांव–गांव जाकर सरकारी कर्मचारी निरीक्षण करें और उन्हें क्रियान्वयन करे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अग्रवाल,जी0 के0(1976): भारतीय सामाजिक संस्थायें, एस बीपीडी पब्लिगि आगरा।
- गुप्ता, यू0सी0, वर्मा, प्रतीक (2014): ग्रामीण विकास परियोजना, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस।
- यादव, धर्मेन्द्र सिंह (2017): पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, रावत पब्लिषर्स।
- Kumari,suman,Alam,Shahnawaz(2016):Role of gram panchayat in rural development:A study of Mathura district,uttar Pradesh-International journal of scientific & technology research volme 5,issue 02,February (ISSN 2277-8616)
- कुमार,सुमित,प्रो.पाठक, प्रीति (2025): ग्रामीण विकास पर एक अध्ययनः भारत के विशेष संदर्भ में–Idealistic journal of advanced research in progressive spectrums (IJARPS) volume 04, issue 02, February (ISSN 2583-6986)
- https://hiim.wikipidia.org.
- https://www.census2011.co.in
- https//banda.nic.in
- banda.kvk4.in